



बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ



## कार्यालय उप निदेशक महिला अधिकारिता भरतपुर

डॉ गिरधारी लाल अग्रवाल के पास, ए-11 जवाहर नगर, भरतपुर

दिनांक :-24.07.2020

क्रमांक :-म.अ./2020/267

### विज्ञप्ति संख्या-1

जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों में मानदेय कार्मिक के रूप में साथिन के रिक्त पदों पर चयन हेतु कार्यालय द्वारा महिला आवेदकों से दिनांक 10.08.2020 को सांय 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र०स०	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	आरक्षण की स्थिति
1	नगर	बांसबूर्जा	अल्पसंख्यक
2	कामां	सोमका	अल्पसंख्यक
3		लाडलाका	अल्पसंख्यक
4		घोसिंगा	अल्पसंख्यक
5		गढ़ाजान	अल्पसंख्यक
6		गाजीपुर	अनारक्षित
7	बयाना	गुर्दानदी	अनारक्षित
8	रूपवास	पिचूना	अनारक्षित
9		दोरदा	अनारक्षित

- 1 आवेदनकर्ता महिला सम्बन्धित ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिये तथा उसके घर में शौचालय होने व नियमित उपयोग सम्बन्धि घोषणा पत्र संलग्न होना अनिवार्य है।
- 2 साथिन हेतु न्यूनतम 10वीं उर्तीण होना तथा विवाहित होना अनिवार्य है।
- 3 कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग के लिये 21 से 40 वर्ष, विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता के लिये 21 से 45 वर्ष होना अनिवार्य है।
- 4 आवेदक अपने आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता सम्बन्धित दस्तावेज, आर०एस०सी०आई०टी प्रमाण पत्र, कार्यानुभव प्रमाण पत्र, बी०पी०एल०कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे।
- 5 आवेदन फार्म इस कार्यालय अथवा विभागीय बैवसाइट ([www.wcd.rajasthan.gov.in](http://www.wcd.rajasthan.gov.in)) से प्राप्त किया जा सकता है।
- 6 आवेदक अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में इस कार्यालय में दिनांक 10.08.2020 तक सांय 5 बजे तक व्यक्तिशः/डाक के माध्यम से जमा करा सकते हैं। एक बार आवेदन प्रस्तुत/जमा करने के पश्चात उसमें संशोधन करने अथवा अनुलग्नक संलग्न करने की अनुमति नहीं होगी।
- 7 अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र दिशा-निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार ही मान्य होंगे।
- 8 इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(अमित गुप्ता)  
उप निदेशक  
महिला अधिकारिता भरतपुर





बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ



दिनांक:- 24.07.2020

क्रमांक :-म.अ./2020/268-05

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु

- 1 अतिरिक्त निदेशक महोदय, महिला अधिकारिता राज0जयपुर।
- 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद भरतपुर।
- 3 विकास अधिकारी पंचायत समिति नगर/कामां /बयाना/रूपवास को पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दिनांक 15.08.2020को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के एजेन्डे मे शामिल कर साथिन चयन की कार्यवाही कराने का श्रम करे।
- 4 बाल विकास परियोजना अधिकारी नगर/कामां /बयाना/रूपवास साथिन चयन परिपत्र दिनांक 05.07.2017 के तहत पर्याप्त प्रचार-प्रसार कर चयन की कार्यवाही कराने का श्रम करे।
- 5 सरपच/ग्रम विकास अधिकारी ग्रम पंचायत.....
- 6 प्रोगामर महिला अधिकारिता राज0 जयपुर को विभागीय बैवसाइट पर अपलोड हेतु।
- 7 नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/कलैक्ट्रेट/जिला परिषद भरतपुर।
- 8 रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक  
महिला अधिकारिता भरतपुर